BA Part3 paper 6 Philosophy Hons
(2019 – 20)

Dr. Arti Kumari
Asso. Prof.
Deptt. Of Philosophy
B.N. College
T. M.B.U bhagalpur

संस्थाओं का निर्माण किया जैसे- परिवार, विवाह, तलाक इत्यादि। जहां परिवार शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक होता है वहीं विवाह उसकी जैविक (biological) आवश्यकताओं की पूर्ति में निर्णायक भूमिका अदा करता है। परिवार रूपी संस्था में रहकर ही वैवाहिक कार्यों को सम्पन्न किया जा सकता है। विवाह के द्वारा स्त्री और पुरुष के यौन संबंधों (sexual relation) को सामाजिक स्वीकृति प्रदान की जाती है। वेस्टरमार्क ने भी विवाह को परिभाषित करते हुए कहा है कि

"विवाह स्त्री पुरुष के बीच वह लगभग स्थायी संबंध है जो गर्भधान और संतानोत्पत्ति के बाद भी बना रहता है।"

वेस्टरमार्क के विवाह संबंधी उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि विवाह मात्र यौन संतुष्टि न होकर उसके आगे की संस्था है जिसमें एक दूसरे के प्रति विश्वास समर्पण, प्रेम इत्यादि की भावना जुड़ी रहती है जिसमें संतान की उत्पत्ति से लेकर उनके भरण-पोषण की व्यवस्था बनी रहती है। स्त्री-पुरुष के लिए मात्र संभोग की वस्तु न होकर एक जीवन साथी (

क्योंकि शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति निषिद्ध संयोग एवं व्यभिचार द्वारा भी हो सकती है। परन्तु इसके द्वारा एक दूसरे के प्रति सम्मान, अपनापन एवं प्रेम पल्लवित नहीं हो सकता है। विवाह का आधार एक दूसरे के प्रति स्थायी रूप से एक सूत्र में बंधना है जिसमें परस्पर अधिकार और कर्तव्य की भावना भी जुड़ी रहती है। साथ-ही-साथ प्रत्येक समाज में विवाह अनुष्ठानों के माध्यम से सम्पन्न किया जाता है।

विवाह का उद्देश्य या प्रयोजन – विवाह का सबसे प्रमुख प्रयोजन ~~यौन तुष्टि है~~ जैविक है। फ्रॉयड आदि मनोविज्ञानिक इस तथ्य को स्वीकार करते हैं कि यौन तुष्टि अत्यन्त स्वाभाविक एवं आवश्यक है। इसके लिए सबसे उपयुक्त माध्यम विवाह है। इसके इतर माध्यमों से ~~यौन तुष्टि~~ न तो समुचित यौन-तुष्टि प्राप्त हो सकती है, न ~~ही~~ समाज में शांति एवं व्यवस्था ही कायम हो सकती है। इस व्यवस्था के अन्तर्गत कोई भी पुरुष किसी खास ~~[illegible]~~ स्त्री के साथ संबंध कायम करता है उसी प्रकार स्त्री भी किसी खास पुरुष के साथ यौन-संबंध कायम करती है। ऐसा न होने पर समाज में कई प्रकार की व्यवहारिक ~~प्र~~ कठिनाइयाँ उत्पन्न होने की संभावना बनी रहती है तथा मनुष्य एवं पशु के बीच

विवाह का उद्देश्य यौन-सुख की पूर्ति तक ही सीमित नहीं है। वस्तुतः यह परस्पर प्रेम एवं स्नेह को प्रगाढ़ बनाता है। परिवार की संकल्पना को भी विवाह के माध्यम से ही मजबूती प्रदान की जा सकती है। स्थायी परिवार की संकल्पना के मूल में परिवार एवं प्रजनन की भावना विद्यमान रहती है। वस्तुतः समाज रूपी ~~[illegible]~~ शरीर की रक्त कोशा (Blood cell) परिवार है। सन्तति-प्रजनन की इच्छा का लोप होने पर समाज की स्थिति भी नष्ट हो जाएगी। हिन्दू समाज में तो यह मान्यता है कि सन्तान के बिना व्यक्ति को गति नहीं मिल सकती। इस प्रकार परिवार, जिस पर पूरे समाज की आधारशिला रखी है, विवाह को नींव रखती है। इस प्रकार यौन-तुष्टि के अतिरिक्त विवाह परिवार की आधारशिला को मूर्त आधार प्रदान करने के लिए आदेश पत्र मात्र है।

सन्तोत्पत्ति के पश्चात् भी पति-पत्नी का संबंध प्रगाढ़ बना रहता है। जैविक आवश्यकता कम पड़ने पर बच्चों के प्रति प्यार बढ़ जाता है। अतः विवाह के द्वारा प्रेम, स्नेह, ममता, सहानुभूति आदि सामाजिक भावनाएं उत्पन्न होती हैं। अतः सन्तानोत्पत्ति के अतिरिक्त प्रेम एवं स्नेह की भावना उत्पन्न करना भी

पुरुष एवं स्त्री एक दूसरे के पूरक हैं। आपसी सहयोग एवं सद्भाव से वे एक दूसरे के काम में हाथ बँटा सकते हैं। पति परिवार की आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जीविकोपार्जन करता है तो स्त्री घर की जिम्मेदारियों संभालती है। इस प्रकार आपस में वे श्रम-विभाजन कर लेते हैं जिससे उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति स्वतः ही हो जाती है।

विवाह का मूल उद्देश्य प्यार के संबंध को प्रगाढ़ करना है। प्यार सिर्फ शारीरिक संबंध न होकर मन का भी संबंध है। प्यार मन एवं भावनाओं का एकीकरण है। वस्तुतः प्यार के अभाव में व्यक्ति का जीवन पशुवत् हो जाता है। प्यार के प्रगाढ़ होने से आत्म त्याग एवं अन्य उत्कृष्ट भावनाओं का सृजन होता है। यह व्यक्ति के आत्म-विकास एवं आत्म सिद्धि का साधन है। अतः शारीरिक क्रिया के स्थान आध्यात्मिक संबंध स्थापित करना विवाह का उद्देश्य है।

कुछ विद्वानों ने विवाह को एक प्रकार का समझौता माना है तथा कुछ ने संस्कार। अब वे विद्वान जो विवाह को समझौता मानते हैं, उनका कहना है कि विवाह एक पद्धति है जिसके द्वारा कुछ उद्देश्यों की पूर्ति होती है समझौतावादी सिद्धान्त के अनुसार विवाह एक अस्थाई संबंध है। परन्तु इसके विपरीत संस्कारवादी

एव स्पेंसर आदि लेखकों का मानना है —
" विवाह का विकास अनियमित संयोग की अवस्था से प्रारम्भ होकर एक विवाह तक पहुँचा है। " किन्तु
परन्तु अनियमित संयोग को विवाह का रूप देना उचित नहीं है क्योंकि यह अस्थायी संबंध नहीं है। मानव भी इसकी पुष्टि नहीं करता है। विवाह के दो प्रकार हैं —
(1) बहिर्विवाह
(2) अंतर्विवाह
बहिर्विवाह - भारत में बहिर्विवाह के कई प्रकार हैं —
(1) गोत्र बहि विवाह
(2) प्रवर बहिर्विवाह
(3) सपिण्ड बहिर्विवाह
गोत्र बहिर्विवाह - गोत्र का अर्थ होता है रक्त की निकटता। यह आठ ऋषियों क्रमशः विश्वामित्र, जमदग्नि, भारद्वाज, गौतम, अत्रि, वशिष्ठ, कश्यप और अगस्त्य की संतान को कहते हैं। जिसमें एक गोत्र के स्त्री-पुरुषों का विवाह वर्जित है। अतः गोत्र विवाह में सगोत्र विवाह का निषेध किया गया है।
(2) प्रवर बहिर्विवाह - इसके अन्तर्गत एक व्यक्ति के उन

अन्तर्विवाह — इसका सम्बन्ध हिन्दू समाज से है जिसमें व्यक्ति अपनी जाति में ही विवाह करते हैं। सामाजिक स्तर की दृष्टि से विवाह दो प्रकार का होता है —

(1) अनुलोम
(2) प्रतिलोम

अनुलोम विवाह में उच्च कुल का व्यक्ति नीचे कुल के व्यक्ति या जाति में विवाह करता है।

प्रतिलोम विवाह — इसमें नीचे कुल का व्यक्ति ऊँचे कुल की स्त्री से विवाह करता है।

यद्यपि अनुलोम तथा प्रतिलोम विवाह की सामाजिक स्वीकृति या मतभेद ही परन्तु इस प्रकार की वैवाहिक पद्धति आज समाज में प्रचलित है।

वर्तमान हिन्दू समाज में मनु द्वारा स्थापित विवाह पद्धति को मान्यता प्राप्त है। ये आठ प्रकार के बताए गए हैं —

ब्रह्म विवाह — श्रेष्ठ कुल वाले शीलवान वर से विवाह करना ब्रह्म विवाह है।

दैव विवाह — दान-पुण्य करा कन्यादान करना दैव विवाह है।

आर्ष विवाह — [illegible]

... विवाह – पुरुष और स्त्री का स्वेच्छापूर्वक यौन संबंध बनाकर विवाह करना गान्धर्व विवाह है।

राक्षस विवाह – कन्यापक्ष के लोगों को आहत कर कन्या को उसकी इच्छा के विरुद्ध विवाह करने विवश करना ~~अथवा~~ राक्षस विवाह है।

पैशाच विवाह – नींद या नशा में कन्या का उपभोग कर उसे विवाह की स्वीकृति लेना पैशाच्य विवाह है।

विवाह के प्रारूप निम्नलिखित किए गए हैं:–

(1) एकविवाह – (Monogamy)
(2) बहुविवाह – (Polygamy)
(3) बहुभर्तृत्व – (Polyandry) या बहुपत्नीत्व
(4) गिरोह विवाह – (group marriage)

एक विवाह या एक पत्नीत्व में एक पुरुष एक ही विवाह कर सकता है। एक पत्नीत्व (monogamy) सभी सभ्य समाज में स्वीकृत विवाह संबंध है।

बहुविवाह – इस पद्धति में एक पुरुष अनेक स्त्रियों के साथ एक पुरुष अनेक पुरुषों के साथ विवाह करते हैं।

बहुभर्तृत्व विवाह में एक पुरुष एक से ...

[illegible]
होक। गोत्र की प्रधानता होती है। वर्तमान समाज में इस विवाह-पद्धति का प्रचलन काफी कम है। यह विवाह-पद्धति सभ्यता के विकास से पूर्व प्रचलित था। इस प्रकार का विवाह हवाई द्वीप के पालिनेशियन परिवार में देखा जाता है।

उपर्युक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि जब किसी समुदाय के व्यक्ति को अपने ही गोत्र के व्यक्तियों के साथ शादी करने की स्वतंत्रता होती तो इसे अंतर्विवाह कहते हैं तथा जब किसी समुदाय के व्यक्ति को किसी समुदाय के व्यक्तियों के साथ विवाह करने की अनुमति होती है तो इसे बाह्य-विवाह कहते हैं।

अन्ततः विवाह की अनेक पद्धतियों की विवेचना यह कहा जा सकता है कि किसी भी सभ्य समाज में एकल विवाह पद्धति को ही आदर्श रूप में स्थापित किया जा सकता है क्योंकि समाज व्यवहारिक एवं आदर्शात्मक रूप में एक स्त्री एक पुरुष के विवाह संबंध को ही

Page No.:

Date:

समुचित विकास एवं व्यक्ति के यौन-सितु स्तर के साथ-साथ आपसी प्रेम आत्मीयता और परिवार के नैतिक मूल्यों का संवर्धन ~~सम्भ~~ बना रहेगा।